कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य/आदर्श विद्यालय/पुरस्कार/61067/2019–20/19 दिनांकः– 01-08-2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषयः– आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को राज्य स्तरीय समारोह में प्रशंसा–पत्र प्रदान किए जाने बाबत।

प्रसंगः– शासन के पत्रांक–प.4(6) शिक्षा–1/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 30.07.2020 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र की अनुपालना में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर **शिक्षक दिवस (05 सितम्बर) के अवसर पर आयोजित होने वाले** राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के **तीन–तीन** संस्था प्रधानों को प्रशंसा–पत्र प्रदान किया जाना है।

पत्र के साथ संलग्न दिशा–निर्देशानुसार निर्धारित तिथि तक आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों को आवेदन पत्र भरकर आपके कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें। तत्पश्चात् **जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांचोपरांत उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदन पत्रों में से वरियता वाले प्रथम तीन आदर्श एवं प्रथम तीन उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों का चयन** कर उनके आवेदन पत्रों को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर स्थित **आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ** में निर्धारित समयावधि तक **व्यक्तिशः** भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सम्मान हेतु नाम भिजवाते समय यह ध्यान में रखा जावे कि **संस्था प्रधान के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं हो/विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित नहीं किया गया हो।** उपर्युक्त कार्य को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता से निर्धारित समयावधि में सम्पादित करें। साथ ही यह ज्ञात रहें कि आपकी लापरवाही के कारण यदि कोई पात्र संस्था प्रधान सम्मानित होने से वंचित रहता है तो इसके लिए आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेवार होंगे।

नोटः– शासन द्वारा अनुमोदित दिशा–निर्देश, आवेदन–पत्र एवं मूल्यांकन निर्देश विभागीय वेबसाइटः– www.education.rajasthan.gov.in/secondary (लिंकः–https://bit.ly/3fUa49R) पर उपलब्ध है।

संलग्नः–

1. **शासन द्वारा अनुमोदित दिशा–निर्देश**
2. **आदर्श विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए आवेदन–पत्र "परिशिष्ट–1(अ)"**
3. **आदर्श विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए मूल्यांकन निर्देश "परिशिष्ट–2(अ)"**
4. **उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए आवेदन–पत्र "परिशिष्ट–1(ब)"**
5. **उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधानों के लिए मूल्यांकन निर्देश "परिशिष्ट–2(ब)"**

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajsevak.com

क्रमांक–शिविरा–माध्य/आदर्श विद्यालय/पुरस्कार/61067/2019–20/19 दिनांकः– 01-08-2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय का पताः– कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
दूरभाषः– 0151–2522238 ई–मेलः– dserajadarsh.edu@rajasthan.gov.in

3. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि),राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उपसचिव–शिक्षा (ग्रुप–1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
9. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), कार्यालय हाजा।
11. **समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा) को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण,प्रभावी प्रबोधन तथा प्रचार–प्रसार हेतु ।**
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माशि/प्राशि।
13. समस्त अति.जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
14. **समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान को ब्लॉक क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधानों को अधिकाधिक आवेदन के लिए प्रेरित करने हेतु।**
15. सहायक निदेशक, माध्यमिक अनुभाग, कार्यालय हाजा।
16. सहायक निदेशक,शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा ।
17. **समस्त जिला प्रभारी गण, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ ।**
18. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर।
19. **समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ)/ संस्था प्रधान।**
20. **समस्त संस्था प्रधान,राजकीय आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय।**
21. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
22. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
23. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधानों को प्रशंसा पत्र प्रदान करने से संबंधित संशोधित दिशा–निर्देश

➢ **आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामीण आदर्श (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण) एवं शहरी आदर्श तथा उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत चयनित (प्रथम एवं द्वितीय चरण) विद्यालयों के क्रियान्वयन के आधार पर 05 सितम्बर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के तीन–तीन संस्था प्रधानों को प्रशंसा पत्र प्रदान करने से संबंधित दिशा–निर्देश, आवेदन पत्र प्रारूप एवं मूल्यांकन निर्देश।**

1. राज्य में आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत (पुर्नगठित ग्राम पंचायतों सहित) में एक विद्यालय (सामान्यतया कक्षा 1 से 12/10 का विद्यालय) को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने हेतु विभाग के शासकीय आदेश क्रमांक प.4(6)शिक्षा–1/2014 दिनांक 12.05.2015 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। शहरी क्षेत्र में आदर्श विद्यालय स्थापित करने के संबंध में शासकीय आदेश क्रमांक प. 4(6) शिक्षा–1/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 02.05.2017 द्वारा जारी किए गए है।

इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित एक विद्यालय (सामान्यतः कक्षा 1–8/5) को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना के दिशा–निर्देश प. 17(3)/प्रा.शि./आयोजना/उत्कृष्ट वि./2016 दिनांक 23.05.2016 द्वारा जारी किए गए है।

2. राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं यथा पर्याप्त एवं मानदण्डानुसार शिक्षकों की व्यवस्था, आधारभूत भौतिक सुविधाएं, बालक–बालिकाओं के लिये फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री की व्यवस्था के साथ–साथ आई.सी.टी./ कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर इन्हें Centre of Excellence के रूप में विकसित किया जाना है। ये आदर्श विद्यालय (ग्रामीण/शहरी) संबंधित ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी विद्यालय (Mentor School) एवं संदर्भ केन्द्र (Resource Centre) के रूप में कार्य करेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय प्रारम्भिक शिक्षा के लिए Centre of Excellence के रूप में विकसित होंगे।

3. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन में विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (संस्था प्रधान) की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन अधिकारियों द्वारा ही विभिन्न स्तरों/संस्थाओं एवं अभिभावकों से सहयोग प्राप्त कर विद्यालय को आदर्श/उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

4. आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में (31 मार्च, 2018 तक) कुल 9895 (ग्रामीण आदर्श) एवं 281 शहरी आदर्श एवं उत्कृष्ट योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में (31 मार्च, 2018) में 9670 विद्यालयों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विद्यालय के प्रधानाचार्यो/प्रधानाध्यापकों (संस्था प्रधान) के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने एवं अच्छा कार्य करने वाले संस्था प्रधानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में आदर्श विद्यालय योजना तथा उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों का भी चयन किया जाना है। चयनित सर्वश्रेष्ठ तीन– तीन प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (संस्था प्रधान) को 05 सितम्बर को राज्य स्तरीय समारोह में प्रशंसा पत्र प्रदान किया जायेगा।

5. उपरोक्तानुसार चयन हेतु जिला एवं निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति तथा राज्य स्तर पर चयन समितियां निम्नानुसार गठित की जाती हैः–

1. **जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति**

आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आदेश क्रमांक 6(2)प्र. सु./ग्रुप–3/2015 दिनांक 15.04.2015 एवं पुनर्गठन आदेश क्रमांक–प.6(27)प्र.सु./अनु.3/2015 जयपुर दिनांक 24.10.2018 द्वारा गठित जिला स्तरीय निष्पादक समिति।

2. **आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति**

अध्यक्ष	–	निदेशक, मा.शि., राज., बीकानेर
सदस्य	–	उपायुक्त, प्रथम, रास्कूलशिप, जयपुर
सदस्य	–	अतिरिक्त निदेशक, प्रा.शि., राज., बीकानेर
सदस्य सचिव	–	संयुक्त निदेशक, (कार्मिक) मा.शि., राज., बीकानेर
सदस्य	–	संयुक्त निदेशक, प्रा.शि., राज., बीकानेर
सदस्य	–	संभागीय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), **(निदेशक महोदय द्वारा रोटेशन के आधार पर नामित)**
सदस्य	–	जिला शिक्षा अधिकारी, आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ, मा.शि., राज.,बीकानेर
सदस्य	–	सहायक निदेशक, कार्मिक एवं माध्यमिक अनुभाग मा.शि., राज., बीकानेर
सदस्य	–	सहायक निदेशक, संस्थापन एवं शैक्षिक अनुभाग, प्रा.शि., राज., बीकानेर

3. **राज्य स्तरीय चयन समिति**

अध्यक्ष	–	शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
सदस्य	–	निदेशक मा.शि., राज., बीकानेर
सदस्य	–	राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूलशिप, जयपुर
सदस्य	–	अतिरिक्त आयुक्त, रास्कूलशिप, जयपुर
सदस्य	–	संयुक्त शासन सचिव, प्रा.शि. (आयो.) विभाग
सदस्य	–	उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय
सदस्य	–	उपायुक्त प्रथम, रास्कूलशिप., जयपुर
सदस्य	–	अनुसंधान अधिकारी, प्रा.शि., विभाग
सदस्य सचिव	–	विशेषाधिकारी शिक्षा

6 समितियों के कार्य

6.1 जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति

1. जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति प्राप्त आवेदनों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगी एवं जांच के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों में से **वरियता वाले प्रथम तीन संस्था प्रधानों** का चयन कर उनके आवेदनों को निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति को भिजवायेगी।
2. जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति प्राप्त आवेदनों की गहनता से छानबीन कर आवेदक द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदण्डानुसार अंक प्रदान करेगी।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यो, विवरणों आदि का समिति द्वारा सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन के लिए उपलब्ध साक्ष्यों, फोटोग्राफ्स का अवलोकन किया जावेगा। निदेशालय पर भेजे जाने वाले आवेदनों में संस्था प्रधान द्वारा दर्शाई गई उपलब्धि का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में

गठित मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति द्वारा **भौतिक सत्यापन** किया जायेगा तत्पश्चात् विद्यालय में पाई गई उपलब्धि के आधार पर निर्धारित **अधिकतम 05 अंको में** से अंक प्रदान किये जायेंगे।

6.2 निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति

1. निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति, जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा के पश्चात् संस्था प्रधानों के प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी।
2. जांच के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों में से **आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रथम 10–10 संस्था प्रधानों** का चयन कर उनके आवेदनों को राज्य स्तरीय चयन समिति को भिजवायेगी।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों, विवरणों आदि का समिति द्वारा सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लिए उपलब्ध साक्ष्यों, फोटोग्राफ्स का अवलोकन किया जाये।

6.3 राज्य स्तरीय चयन समिति

1. निदेशालय स्तरीय चयन समिति की अनुशंषा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों की गहनता से छानबीन कर उपलब्धि के आधार पर दिये गये अंकों की पुनः जांच करेगी।
2. समिति द्वारा आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पुरस्कृत करने हेतु तीन–तीन नामों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवायें जायेंगे।

7. आवेदन की प्रक्रिया

1. समस्त ग्रामीण एवं शहरी आदर्श विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधान एवं समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधान आवेदन करने के पात्र होंगे।
2. मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2019–20 (31 मार्च, 2020)/शैक्षणिक सत्र 2019–20 तक आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर किया जायेगा।
3. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधान अपने आवेदन क्रमशः प्रपत्र–अ एवं ब में करेंगे **(संलग्न परिशिष्ट–1 अ एवं ब)**। आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाईट education.rajasthan.gov.in पर **सर्वश्रेष्ठ संस्था प्रधान को पुरस्कृत करने हेतु आवेदन पत्र "अ" व "ब" नाम से उपलब्ध रहेगा।**
4. मूल्यांकन मुख्यतः समस्त आदर्श विद्यालयों (ग्रामीण व शहरी) एवं समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों को विकसित करने व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् की योजनाओं को राजकीय विद्यालयों में क्रियान्वयन के आधार पर होगा। आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधानों के लिए मूल्यांकन प्रपत्र–अ तथा उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए प्रपत्र–ब रहेगा।
5. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधान अपना आवेदन **संबंधित उपखण्ड अधिकारी की अनुशंषा के पश्चात्** संबंधित जिले के **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान** कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे।**निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।**
6. **एक बार प्रशंसा पत्र प्राप्त विद्यालय पुनः आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।**

7. मूल्यांकन एवं अनुशंषा समितियां आवेदनों में दर्शाई गई उपलब्धि के आधार पर अंक प्रदान करेगी। अर्जित की गई उपलब्धि के आधार पर अंक प्रदान करने के मानदण्ड (मूल्यांकन निर्देश) निर्धारित किए गए है, जो कि **परिशिष्ट–2 "अ"** एवं **"ब"** पर उपलब्ध है।

नोटः–1. आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए कार्यों, विवरणों आदि से संबंधित बिन्दुवार साक्ष्य, स्पष्ट फोटोग्राफ्स (यथा–मुख्यद्वार के साथ विद्यालय भवन, शौचालय व्यवस्था, कक्षा–कक्ष, पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, इत्यादि), प्रमाण–पत्र, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विवरण इत्यादि आवश्यक रूप से संलग्न करें। साक्ष्यों के अभाव में देय अंकों की गणना नहीं की जायेगी।

2. आगामी प्रतिवर्ष संस्था प्रधानों को प्रशंसा पत्र प्रदान करने हेतु मूल्यांकन, समीक्ष्य शैक्षणिक सत्र/वितीय वर्ष की समाप्ति तक आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर किया जायेगा। जैसे वर्ष 2021 में मूल्यांकन, शैक्षणिक सत्र/वितीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति तक आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर किया जायेगा। इसी प्रकार समीक्ष्य शैक्षणिक सत्र/वितीय वर्ष के अनुरूप आवेदन पत्र एवं मूल्यांकन निर्देशों में भी परिवर्तन किया जायेगा।

8. **आवेदन एवं मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की जाती हैः–**
(05 सितम्बर, 2020 को आयोज्य राज्य स्तरीय समारोह हेतु)

क्र. सं.	आवेदक वर्ग	आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति द्वारा जांच उपरांत आवेदनों को निदेशालय को भेजने की अंतिम तिथि	निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति द्वारा जांच उपरांत वरीयता के 10–10 आवेदनों को राज्य सरकार को भेजने की अन्तिम तिथि	राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम चयन दिनांक
1	संस्था प्रधान	13.08.2020	19.08.2020	25.08.2020	28.08.2020

9. **आवेदन एवं मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की जाती हैः–**
(आगामी प्रतिवर्ष आयोज्य राज्य स्तरीय समारोह हेतु)

क्र. सं.	आवेदक वर्ग	आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति द्वारा जांच उपरांत आवेदनों को निदेशालय को भेजने की अंतिम तिथि	निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति द्वारा जांच उपरांत वरीयता के 10–10 आवेदनों को राज्य सरकार को भेजने की अन्तिम तिथि	राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम चयन दिनांक
1	संस्था प्रधान	20 जुलाई	30 जुलाई	10 अगस्त	20 अगस्त

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर